संख्याः 1 / 2017/1009/तीस-1-2017-5(15)/2016

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 **लखनऊः दिनाँक 03 जनवरी, 2017**

विषयः बस स्टेशन मोदीनगर जनपद-गाजियाबाद का पुनर्निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, मुख्यालय लखनऊ के पत्र संख्या-501बी/डीए०/16, दिनांक 21 सितम्बर, 2016 एवं पत्र संख्या-683बी/डीए/प०/16, दिनांक 15.12.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा बस स्टेशन मोदीनगर जनपद-गाजियाबाद का पुनर्निर्माण कार्य कराये जाने हेतु रू0 179.76 लाख की लागत का आगणन शासन को उपलब्ध कराया गया। उक्त कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० लखनऊ के पत्र संख्या-सी-1202/पीसीएल/म० प्र०/जोन-2/बरेली/परिवहन दिनांक 28.09.2016 द्वारा प्रश्नगत लागत पर कार्य करने हेतु अपनी सहमति उपलब्ध करायी गयी है। प्रकरण में विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्ष-7055-सड़क परिवहन के लिए कर्ज 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-03- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को कर्ज-30-निवेश/ऋण में प्राविधानित धनराशि रू० 50.00 करोड़ में से बस स्टेशन मोदीनगर जनपद-गाजियाबाद का पुनर्निर्माण कार्य कराये जाने हेतु लागत रू0 179.76 लाख के 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि रू0 89.50 लाख (रूपये नवासी लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में ऋण के रूप में स्वीकृत किये जाने की निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. **ऋण की वापसी व्याज सहित 10 वर्षो की अवधि में की जायेगी।**
2. **व्याज की दर 15 प्रतिशत वार्षिक होगी तथा नियमित भुगतान किये जाने की दशा में 3.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। इस प्रकार नियमित भुगतान की दशा में व्याज की प्रभावी दर 11.50 प्रतिशत होगी।**

http://shasanadesh.up.nic.in

3. मूलधन के प्रतिदान की पहली किस्त ऋण आहरण की तिथि से ठीक एक वर्ष बाद देय होगी। मूलधन का प्रतिदान 10 समान वार्षिक किस्तों में किया जायेगा।

4. उपर्युक्त ब्याज दर अनन्तिम है। वर्ष 2017-18 के लिए अंतिम ब्याज दर के आदेश निर्गत होने पर ब्याज दर स्वत: संशोधित मानी जायेगी।

2- उक्त कार्य के लिए आंकलित की गयी लागत रू0 179.76 लाख (रूपये एक करोड़ उन्नयासी लाख छिहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 में निहित निर्देशों के क्रम में श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रथम किश्त के रूप में रू० 89.50 लाख (रूपये नवासी लाख पचास हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किये जाने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है। उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा उक्त कार्यदायी संस्था से नियमित अनुश्रवण करके निर्माण कार्य को गुणवत्तायुक्त तथा समयबद्धता सहित मानक के अनुरूप सुनिश्चित कराया जायेगा ।

(2) उक्त आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपोजिट खाते में जमा नहीं की जाएगी।

(3) परियोजना का अंतिम रूप में अनुमोदित मानचित्र/डिजाइन के आधार पर विस्तृत आगणन का गठन करते हुए सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य कराया जायेगा। तकनीकी स्वीकृति की एक प्रमाणित प्रति तदनुसार शासन एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम को भेजी जाय।

(4) परियोजना निर्माण में स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्दता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० लखनऊ का होगा।

(6) परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा। लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(7) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(8) उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० लखनऊ द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ, पुरातत्व विभाग एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) प्रायोजनान्तर्गत जो कार्य प्रस्तावित किये गये है आंतरिक विधुतीकरण, वाटर कूलर, फर्नीचर, वाटर प्यूरीफायर, बेंचेज इत्यादि। इस संबंध में क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करे। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं। निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(10) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा।

(11) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय। प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से परिवहन निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान या भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(12) प्रश्नगत परियोजनान्तर्गत निर्माण कार्यो को सम्पादित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था एवं उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा माइलस्टोन्स निर्धारित किया जायेगा और निर्धारित माइलस्टोन्स व तदनुसार कार्यो की प्रगति से समय-समय पर शासन को अवगत कराया जायेगा। निर्माण कार्य को समयबद्धता से पूर्ण कराया जाए साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।

(13) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र-बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2016 में दिए गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी किये गये अन्य निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(14) प्रायोजनान्तर्गत बालू/मिट्टी भराई हेतु जो धनराशि प्राविधानित किया गया है। उसके संबंध में जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की संस्तुति नहीं है। इस मद में प्राविधानित धनराशि यथावत अनुमन्य की गयी है, जिससे निर्माण कार्य में कोई कठिनाई न हो। उपरोक्त प्रस्तावित धनराशि जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की संस्तुति के पश्चात देय होगी।

(15) उक्त व्यय के सम्बन्ध में शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व परिवहन आयुक्त का होगा। उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जाएगा।

(16) योजना में अनुमोदित लागत में ही एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कराया जाय। उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को हस्तगत कराने के पश्चात यदि लागत में वृद्धि होती है तो उसे कार्यदायी संस्था अपने श्रोतो से वहन करेगी। शासन द्वारा उक्त बढ़ी हुई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्ष 7055-सड़क परिवहन के लिए कर्ज 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-03- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को कर्ज-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या-ई-9-442/दस-2016 दिनांक 03 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

संख्याः 1/ 2017/1009/(1)/तीस-1-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. महा प्रबन्धक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० लखनऊ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
8. वित्त नियन्त्रक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० लखनऊ।
9. नियोजन अनुभाग-4 ।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
11. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3।
12. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन,लखनऊ।
13. गाई फाइल।

आज्ञा से,

(सन्त लाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in